न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा।

विविध वाद सं0:–05 / 2018–19

श्री कैलाशपति पाण्डेय

बनाम

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	मंतव्य
7.1.19	**आदेश** अंचलाधिकारी, गोड्डा सदर के पत्रांक–2487 / रा0, दिनांक–15.12.2018 के द्वारा विविध वाद संख्या–12 / 2018–19 प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत अभिलेख मौजा–कौड़ीबहियार माल, थाना नं0– 509 / 510, गैरमजरूआ खाता सं0–96, दाग नं0– 1040 खतियानी रकवा–09–01–07 धुर का अंश रकवा–05–00–00 धुर, किस्म– परती कदीम भूमि अनुमण्डल स्तर से बन्दोवस्ती वाद सं0–61ए / 1968–69 द्वारा श्री कैलाशपति पाण्डेय पिता–स्व0 लालजी पाण्डेय सैनिक को प्रतिवेदित बन्दोवस्ती रद्द करने हेतु अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा अनुशंसा किया गया है। यह भी प्रतिवेदित है कि बन्दोवस्तदार का उक्त बन्दोवस्त भूमि पर आंशिक दखल एवं जोत किया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर द्वारा बन्दोवस्तधारी को नोटिश कर कारण–पृच्छा प्राप्त किया गया है। राजस्व विभागीय पत्रांक–ए0जी0एल0–1–64–1551 आर0 दिनांक–23.02.1964 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–6144 दिनांक–21.12.2017 के कंडिका– 3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सैनिक के साथ अन्दोवस्ती की शक्ति जिला के समाहर्त्ता को प्रदत्त है। सुनवाई के उपरान्त विभागीय पत्र के आलोक में उक्त बन्दोवस्ती को नियम संगत नहीं मानते हुए अंचल अधिकरी, गोड्डा सदर द्वारा बन्दोवस्ती को रद्द करने की अनुशंसा किया गया है। उपरोक्त गैरमजरूआ खास भूमि का हस्तान्तरण राजस्व विभागीय पत्रांक–ए0जी0एल0–1–64–1551 आर0 दिनांक–23.02.1964 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–6144 दिनांक–21.12.2017 के कंडिका– 3 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा– 28 (b) के विरूद्ध है। विहित रीति से हस्तान्तरण / बन्दोवस्ती सैनिक को समाहर्त्ता के द्वारा नहीं किया गया है जो धारा–42 अन्तर्गत कार्रवाई योग्य है। अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के किसी बन्दोवस्ती आदेश के आलोक में चल रही जमाबंदी वैद्य नहीं है।	

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2248 दिनांक–28.07.1989 के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा– 57 को छोड़कर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को उपायुक्त की शक्ति प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा, सदर के प्रस्ताव के आलोक में मौजा–कौड़ीबहियार माल, थाना नं0– 509/510, गैरमजरूआ खाता सं0–96, दाग नं0– 1040 रकवा–05–00–00 धुर किस्म– परती कदीम भूमि अनुमण्डल स्तर से बन्दोवस्ती वाद सं0–61ए/1968–69 के आलोक में श्री कैलाशपति पाण्डेय पिता–स्व0 लालजी पाण्डेय सैनिक की चल रही जमाबंदी को समाप्त करने का आदेश दिया जाता है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर तदनुसार जमाबंदी समाप्त करना सुनिश्चित करेगें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गोड्डा।